

# गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

## ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

जी.बी.यू./003/वित्त/5.38(Vol-II)/2017-3957

दिनांक: 16.08.2017

समस्त स्कूल अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय  
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

विषय: शैक्षिक सत्र 2017-18 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा बैवसाइट [scholarship.up.nic.in](http://scholarship.up.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन नवीनीकरण (Renewal) और नवीन (Fresh) ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित समय-सीमा सूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग विभाग द्वारा सभी वर्गों (सामान्य वर्ग (GEN), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक MIN.) के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18 में गतवर्ष में अध्ययनरत् छात्रों को नवीनीकरण (Renewal) एवं नवप्रवेशित (2017-18) छात्रों (Fresh) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 30.09.2017 उत्तर प्रदेश, की बैवसाइट [scholarship.up.nic.in](http://scholarship.up.nic.in) पर प्रदर्शित हो रही है।

समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि का इन्तजार न करे, आवेदन भरने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए जाँच हेतु आवेदन का प्रिन्ट लेकर प्रमाण-पत्रों से मिलान कर आवेदन का फाइनल सबमिट कर प्रिन्ट आउट लेकर समस्त प्रमाण-पत्रों (आय/जाति/निवास प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन सत्यापन कर प्रिन्ट आउट संलग्न करना आवश्यक है।) को संलग्न कर 3 (तीन) दिन के बाद सम्बन्धित स्कूल कार्यालयों में जमा कराये।




(पंकज शर्मा)  
नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी



प्रतिलिपि:

1. कुलपति महोदय, की निजी सचिव को संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव महोदय, अधिकारी को सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य अभिरक्षक (महिला/पुरुष) एवं समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को छात्रावास सूचना पट पर लगवाये जाने हेतु।
5. चैयरपर्सन (परीक्षा) को सूचनार्थ एवं गतवर्ष के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अंकतालिक उपलब्ध कराने की कार्यवाही अविलम्ब कराने का कष्ट करें।
- ✓ 6. सिस्टम मैनेजर, को सूचनार्थ एवं जी0बी0यू0 की बैवसाइट पर शीर्ष में शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचना लाइन प्रदर्शित कराने हेतु।

  
नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी